प्रेस नोट ***13/02/2025***

03 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 13.02.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना घोसी पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त पतिराम चौहान पुत्र स्व0 कमुना निवासी चकसबिर मो0 मुलडाड चकिया थाना घोसी तथा थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्ता वन्दना पुत्री रमाशंकर यादव निवासी प्रेमनगर चकिया थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

'आपरेशन क्लीन' अभियान के अन्तर्गत थाना घोसी पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 14 दोपहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹139200/- (एक लाख 39 हजार दो सौ रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे "ऑपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी मधुबन/घोसी श्री अभय कुमार सिंह, नायब तहसीलदार घोसी श्री अमरनाथ व निरीक्षक अपराध घोसी श्री मोतीलाल पटेल की उपस्थिति में दिनांक 13.02.2025 को थाना घोसी पर विभिन्न जनपदों से आये 06 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 14 दोपहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹139200/- (एक लाख 39 हजार दो सौ रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

यूपीआई के माध्यम से जमीन दिलाने के नाम पर फॉड की गयी कुल धनराशि 50,000/- रुपये थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा वापस कराया गया-

साइबर अपराध के माध्यम से आंनलाइन ठगी गयी धरनाशि वापस दिलाने व साइबर अपराध पर प्रभावी कार्यवाही के परिप्रेक्ष्य में थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ की साइबर टीम द्वारा सार्थक प्रयास करते हुए यूपीआई के माध्यम से जमीन दिलाने के नाम पर भेजे गये, पीडित ज्ञानचन्द्र कनौजिया पुत्र स्व0 जगधारी कनौजिया निवासी सुन्दर नगर कॉलोनी ख्वाजाजहापुर थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ के कुल 50000/- रुपये की धनराशि अथक परिश्रम कर उनके खाते में वापस कराया गया। आवेदक द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया। साइबर अपराध किसी के साथ और किसी भी प्रकार से घटित हो सकता है। बस जागरुक रहकर ही साइबर से बचा जा सकता है।

बरामदकर्ता-

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, का0आ0 आशीष द्विवेदी, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ।

‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के अन्तर्गत थाना दक्षिणटोला पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 09 दोपहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹42600/- (42 हजार छ: सौ रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में नायब तहसीलदार सदर श्री अभिषेक वर्मा व प्रभारी निरीक्षक दक्षिणटोला श्री धर्मेन्द्र सिंह की उपस्थिति में दिनांक 13.02.2025 को थाना दक्षिणटोला पर विभिन्न जनपदों से आये 05 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 09 दोपहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹42600/- (42 हजार छ: सौ रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत हत्या मामले में दोषसिद्ध 01 अभियुक्त को आजीवन कारावास व ₹10000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय एफटीसी-1 जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 13-02-2025 को मु0अ0सं0 82/2021 के धारा 302 भादवि थाना कोतवाली में दोषसिद्ध अभियुक्त जमशेद उर्फ मिस्टर पुत्र स्व0 इस्तेयाक निवासी भरहू का पूरा थाना कोतवाली जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹10000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अनिल कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी आशीष कुमार थाना कोतवाली का सराहनीय योगदान रहा।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत एक दोषसिद्ध अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि व ₹1500 के अर्थदंड से हुआ दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय सिविल जज्(सी0डी0)/एफटीसी जनपद मऊ द्वारा दिनांक 12-02-2025 को मु0अ0सं0 47/1994 के धारा 380,411 भादवि थाना दोहरीघाट में दोषसिद्ध अभियुक्त रामसकल उर्फ सकल पुत्र रामचंदर यादव निवासी उसरी बुजगे थाना दोहरीघाट जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताई गई अवधि एवं ₹1500 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 15 दिन के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

‘आपरेशन क्लीन’ अभियान के अन्तर्गत थाना चिरैयाकोट पर मुकदमों से सम्बन्धित कुल 10 दोपहिया वाहनों की नीलामी कराकर कुल ₹96396/- (छानबे हजार तीन सौ छानबे रुपये) के राजस्व की प्राप्ति की गई।

अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन वाराणसी श्री पियूष मोर्डिया के कुशल मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में जनपद मऊ में थानों पर लंबित माल मुकदमाती/लावारिस वाहनों के निस्तारण हेतु चलाये जा रहे “ऑपरेशन क्लीन” अभियान के क्रम में तहसीलदार मुहम्मदाबाद श्री आलोक रंजन सिंह व प्रभारी निरीक्षक चिरैयाकोट श्री योगेश यादव की उपस्थिति में दिनांक 13.02.2025 को थाना चिरैयाकोट पर विभिन्न जनपदों से आये 02 रजिस्टर्ड कबाड़ व्यापारियों के समक्ष बोली लगवाकर नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत 10 दोपहिया वाहनों का निस्तारण कराकर जीएसटी सहित कुल ₹96396/- (छानबे हजार तीन सौ छानबे रुपये) राजस्व की प्राप्ति की गयी। प्राप्त धनराशि को नियमानुसार राजकोष में जमा किया जायेगा। साथ ही साथ थाना चिरैयाकोट में धारा 60 आबकारी अधिनियम से संबंधित शराब को माननीय न्यायलय के आदेश के क्रम में वर्ष 2024 में 12 अभियोगों में बरामद 145 लीटर अवैध शराब को गढ्ढा खोदकर विनष्टीकरण कराया गया।